राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

विषय : **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 30 के अन्तर्गत "Registration Rules" जारी करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 30 की अनुपालना में "Registration Rules" जारी करने के क्रम में दिनांक 27.9.2016 को आयोजित बैठक के लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति हेतु दिनांक 27.12.2016 को समसरसंख्यक अशा. टीप द्वारा सभी निर्माण विभागों के मुख्य अभियंतागण / वित्तीय सलाहकारगण से निम्न अनुरोध किये गये थे –

"1. CPWD तथा अन्य पड़ौसी राज्यों के सुसंगत नियमों का अध्ययन कर राजस्थान राज्य के प्रस्तावित नियमों हेतु आपके प्रस्ताव जिससे Class of Contractos, Registration Fees, Security Deposit, Past Experience वर्तमान नियमों में निरस्त योग्य प्रावधान तथा नये जोड़े जाने योग्य प्रावधान संबंधी उपयुक्त प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

2. Online System के संबंध में अध्ययन कर अपने सुझाव "Nodal Department" PWD को उपलब्ध करावें एवं तदनुरूप online system विकसित करावें।

3. Bidders के स्वीकृत/संपादित कार्यों हेतु e-pass book रखे जाने के संबंध में आपके सुझाव से अवगत करावें।

4. वर्तमान श्रेणी में "वन विभाग" तथा "भूजलतकनीकी" कार्य के संवेदकों की श्रेणी जोड़े जाने के प्रस्ताव पर विचार कर अपने सुझाव भिजवायें।

5. नये नियमों में जो आवश्यक एवं उपयुक्त Format अपेक्षित है, उनके प्रारूप भी भिजवाने का श्रम करें।"

उक्त प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत सुझाव / टिप्पणी अब तक अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को इस बाबत् समुचित निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें।

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

अति.मुख्य सचिव,
सार्वजनिक निर्माण, जन स्वा. अभियांत्रिकी, भू–जल विभाग।
प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग।
शासन सचिव, वन विभाग
राजस्थान सरकार।

CAO

अशा.टीप सं. प. 1 (3) वित्त / साविलेनि / 2016 पार्ट
जयपुर दिनांक 15.2.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. *निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।*
2. *प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।*
3. *मुख्य अभियंतागण / वित्तीय सलाहकारगण, PHED/PWD/WRD/Forest/GWD/ CAD/IGNB*
4. *सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, RWSSMB जयपुर।*
5. *मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (SPFC) विभाग।*

संयुक्त शासन सचिव